



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-2
e-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Tel : 011 23232373

स. एन-12/13/1/2019- योववि

दिनांक : 12.06.2019

नोट
NOTE


विषय :- क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 में नया विनियम 96-सी को अंतर्वेशित किए जाने के संबंध में।

Sub: Insertion of new Regulation 96C to ESI General Regulations, 1950.

क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 96-सी - टाई-अप अस्पतालों का अति विशिष्टता उपचार हेतु अभिनिर्देशन तथा व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर उपगत करना संबंधी अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27 मई, 2019 को प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक करवाही हेतु संलग्न है।

Regulation 96C on the subject "Referral for Super Speciality Treatment to Tie-up Hospitals and expenditure to be incurred by Employees' State Insurance Corporation directly" has been inserted to ESI General Regulations, 1950, the final notification of which has been published in the Gazette of India dated 27.05.2019. A copy of the notification is enclosed for information and necessary action.

संलग्न - यथोपरि


12.06.19
(पी आर सिन्हा)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / विभागीय कार्यालय, को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।